



प्रेस नोट  
थाना बिनौली

दिनांक 11.09.2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 243/22 धारा 354/354ख भादवि व 3(2)5क SC/ST ACT व 7/8 पोकसो एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 243/22 धारा 354/354ख भादवि व 3(2)5क SC/ST ACT व 7/8 पोकसो एक्ट से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- सूरज पुत्र लोकेश उर्फ लोकेन्द्र निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- विकास उर्फ काला पुत्र किरनपाल निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- आकाश पुत्र अमित निवासी ग्राम धनौरा सिल्वर नगर थाना बिनौली जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना बिनौली ।
- 2- है0का0 205 बने सिंह थाना बिनौली ।
- 3- का0 632 विपिन कुमार थाना बिनौली ।

4- म0का0 55 आंचल त्यागी थाना बिनौली ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 11.09.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 201/2022 धारा 147/452/354/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 201/2022 धारा 147/452/354/323/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-धर्मेन्द्र पुत्र सोनवीर निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-बिहू पुत्र सोनवीर निवासी ग्राम मन्सूरपुर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 हरेन्द्र सिंह
2. है0का0 236 नरेन्द्र सिंह
3. का0 556 इल्यास



प्रेस नोट  
थाना खेकड़ा

दिनांक 11.09.22

**थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही:-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. कुलबीर पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ।
2. पप्पू पुत्र सतपाल निवासी ग्राम ढिकाना थाना बडौत जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

- 1-उ0नि0 श्री दिनेश कुमार ।
- 2-का0 937 शिवम शर्मा ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 11.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 386/22 धारा 324/308/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.09.22 को थाना खेकडा पर वादिया पूनम पत्नी सुभाष निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा ने सूचना दी कि सुबह समय करीब 04.30 बजे अपने पति सुभाष (उम्र 45 वर्ष) को जगाने के लिए गई तो उसका पति सुभाष लहुलुहान हालात में बेहोश पडा था । शोर मचाया तो पडोसी आ गये तथा इलाज हेतू



दिल्ली ले गये । यह घटना उसके लडके अक्षय ने की है । जिसने उसके पति सुभाष के सिर पर फावडे व मूसली (लोहे की) से जान से मारने की नियत से वार करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 386/22 धारा 324/308/307 भादवि पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 386/22 धारा 324/308/307 भादवि में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अक्षय पुत्र सुभाष निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री मंजीत सिंह ।

2-है0का0 290 सैन्सरपाल सिंह ।

3-का0 1022 अजय कुमार ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 11-09-2022

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- लोकेन्द्र उर्फ चीकू पुत्र तेजपाल सिंह निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री प्रदीप सिंह नादर ।
- 2- है०का० 292 सिराज खान ।
- 3- का० 747 धर्मेन्द्र सिंह ।